पत्रांक-पी0एम0यू0/बी0सी0डी0-39/2016......08............/

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सुनील चौधरी,
निदेशक (अनुश्रवण)।

सेवा में,

<u>सभी कार्यपालक अभियन्ता(विद्युत सहित),</u>
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक - 18/1/18

विषयः- विभागीय योजनाओं का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन ऑनलाईन अपलोड करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट इन्फॉरमेसन सिस्टम के अंतर्गत ऑनलाईन प्रगति प्रतिवेदन संधारण हेतु एक पोर्टल तैयार किया गया है जिसमें प्रमंडलों द्वारा योजनाओं की प्रविष्टि की जा रही है। प्रविष्टि में निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुसार सम्पूर्ण योजनाओं (प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त) की वर्त्तमान स्थिति सहित अन्य आवश्यक सूचनाएँ अंकित की जानी है (एक ही योजना का दुबारा प्रविष्टि न हो):-

(1) [redacted] **प्रोग्रेस रिपोर्ट कॉलम में एड प्रोग्रेस आफ्टर एग्रीमेन्टः-** इस कॉलम में वैसी प्रविष्टी जिसका एकरारनामा सम्पन्न हो चुका हो, की प्रविष्टि किया जाना है।

(2) [redacted] **प्रोग्रेस रिपोर्ट कॉलम में एड प्रोग्रेस विफोर एग्रीमेन्टः-** इस कॉलम में वैसी प्रविष्टी जिसका एकरारनामा सम्पन्न नही हुआ हो, की प्रविष्टि किया जाना है।

(3) [redacted] **प्रोग्रेस रिपोर्ट कॉलम में एडिट प्रोग्रेस रिपोर्टः-** इस कॉलम में प्रविष्टि के उपरान्त कोई त्रुटि होने पर उसका सुधार इसी कॉलम के माध्यम से किया जाना है। इसमें पूर्व में किए गए प्रविष्टि के अनुसार वर्त्तमान वित्तीय वर्ष का चुनाव कर गलत प्रविष्टि को एडिट (करेक्सन) किया जाना है।

(4) [redacted] **प्रोग्रेस रिपोर्ट कॉलम में अपडेट प्रोग्रेस रिपोर्टः-** इस कॉलम में योजनाओं की वर्त्तमान स्थिति दैनिक/साप्ताहिक/मासिक रूप से की जानी है। इसी कॉलम में योजनाओं की अद्यतन स्थिति की प्रविष्टि के दौरान विकल्प के रूप में पूछा जाता है कि ''एकरारनामा की स्थिति'' जिसमें हां एवं नहीं देना होता है। यह विकल्प पूर्व में प्रविष्टि के दौरान एकरारनामा नही होने पर की गई हो एवं वर्त्तमान प्रविष्टि के समय संबंधित योजना का एकरारनामा हो चुका हो तो हां का चुनाव कर एकरारनामा का पूर्ण ब्योरा दिया जाना है।

(5) [redacted] **प्रोग्रेस रिपोर्ट कॉलम में प्रोग्रेस रिपोर्टः-** प्रगति प्रतिवेदन अपलोड/प्रिंट किया जाना है।

(6) **मुख्य बिन्दुः-** राशि पूरे अंक यथा 2495589.00 (चौबीस लाख पन्चानवे हजार पांच सौ नबासी) के रूप में अंकित करना है।

(7) **इन्सपेक्सन कॉलम/पत्र संबंधी कॉलमः-** इन्सपेक्सन में योजना के निरीक्षण संबंधी निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसका कम्प्लायन्स तथा लेटर्स कॉलम में सभी संबंधित विभागीय कार्यालय से निर्गत पत्र को अपलोड/कम्प्लायन्स किया जाना है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य एवं उल्लिखित बिन्दुओं के आलोक में सम्पूर्ण योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन अद्यतन कराना तथा अन्य विकल्पों का प्रयोग कर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। प्रारंभिक तौर पर आने वाली कठिनाई का निराकरण किया जाएगा।

विश्वासभाजन
18/1/18
(सुनील चौधरी)
निदेशक(अनुश्रवण)